

अपील व मुक: जनीरवों vs तदमीसदार सैफें 26/2019

22/6/21

अभियोग के अभिभाषक उपर। अपीलान्त के
अभिभाषक उक्त अपील को आगे चलाना
नहीं चाहते हैं। अभिभाषक अपीलान्त ने
उक्त अपील को नोटिस किया। अपीलान्त
के अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्त को
तदमीसदार पर अनुरोध प्राप्त हो चुका है।
जिसके कारण उक्त अपील चलाने योग्य नहीं है।
उक्त अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं।

Not present
S. D. Singh

उक्त अपीलान्त की यह अपील नोटिस
में खारिज की जाती है। पत्रावली फाइल
सुमार दोकर नम्बर से कम की जाकर
बाद तदमीसदार लिखित दफतर है। जोड़े
सुनाया गया।

(-)

(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर